<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय</u>

<u>नैनीताल</u>

माननीय श्री संजय कुमार मिश्रा

एवं

माननीय श्री आलोक कुमार वर्मा

<u>21 जुलाई, 2022</u>

<u>सरकारी अपील संख्या - 9/2013</u>

मध्य :

उत्तराखंड राज्य

...अपीलकर्ता

एवं

संजय शाह और अन्य

…प्रतिवादी

साथ

<u>सरकारी अपील संख्या 11/2013</u>

मध्य:

उत्तराखंड राज्य

…अपीलकर्ता

एवं

संजय शाह

... प्रतिवादी

राज्य/अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता : श्री जे. एस. विर्क, विद्वान उप महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता : श्री आदित्य सिंह।

न्यायालय द्वारा निम्न निर्णय किया गया

निर्णय: (माननीय श्री आलोक कुमार वर्मा, जे. के अनुसार)

1. उक्त दो सरकारी अपीलें विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 10.10.2012 के संयुक्त फैसले के खिलाफ निर्देशित हैं, जिनमे सत्र परीक्षण संख्या 27 वर्ष 2011, राज्य बनाम संजय शाह और अन्य में विद्वान विचरण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण/अभियुक्त व्यक्तियों को आई.पी.सी. की धारा 302 सपठित धारा 34 के आरोप से बरी कर दिया है, और, सत्र परीक्षण संख्या 5 वर्ष 2012, राज्य बनाम संजय शाह, जिसमें प्रत्यर्थी को शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 30 के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया है। ये दो सरकारी अपीलें आपस युक्त हैं, अतः इन दोनों अपीलों का निर्णय इस समान निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की पुन: समीक्षा से अभियोजन पक्ष की कहानी का संक्षेप में कथन यह है कि, 07.06.2011 को, मृतक दिनेश रावत की पत्नी के भाई के विवाह में मृतक दिनेश रावत, उसके मित्र, मृतक राम सिंह भंडारी, गवाह दाता राम, कांस्टेबल (पीडब्लू4) और गवाह यशपाल सिंह (पीडब्लू5) उपस्थित थे। दिनेश रावत के पिता नारायण सिंह रावत (पीडब्ल्यू1) भी शादी में मौजूद थे। दिनेश रावत, राम सिंह भंडारी, दाता राम और यशपाल सिंह दोपहर लगभग 3.45 बजे विवाह समारोह से वापस आए थे। उन्होंने शराब और अपना खाना लिया था। रात लगभग 10 बजे., दाता राम (पीडब्ल्यू4) यशपाल सिंह (पीडब्ल्यू5) दिनेश रावत की नई मारुति वैगनआर कार में दिनेश रावत के साथ रानीखेत के लिए रवाना हुए थे। जबकि राम सिंह भंडारी मोटरसाइकिल से रानीखेत के लिए रवाना हुए थे। जब राम सिंह भंडारी रानीखेत जा रहे थे तो उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई। उस दुर्घटना में राम सिंह भंडारी घायल हो गए थे, जिसके कारण वह दिनेश रावत की कार में बैठे ।

3. दिनांक 08.06.2011 को रात के लगभग 12 बजे, मृतक दिनेश रावत के पिता नारायण सिंह रावत को ग्राम प्रधान द्वारा सूचित किया गया कि दिनेश रावत की कार में दो शव पाए गए। नारायण सिंह रावत लगभग 3 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि कार की खिड़कियां बंद थीं और राम सिंह भंडारी का शव आगे की सीट पर पड़ा था और दिनेश रावत का शव कार की पिछली सीट पर पड़ा था।

4. 09-06-2011 को मृत्यु जांच की कार्यवाही की गई। पटवारी भूपाल गिरी गोस्वामी (पीडब्लू6) ने मृत्यु जांच रिपोर्ट (प्रदर्श क. 5) तैयार की।

5. उसी दिन यानी 09.06.2011 को डॉ. दीप प्रकाश (PW13) द्वारा लगभग शाम 02.10 और 04.00 बजे क्रमश: राम सिंह भंडारी उम्र लगभग 27 वर्ष और दिनेश रावत उम्र लगभग 30 वर्ष के शवों का पोस्टमार्टम किया गया।

6. 09.06.2011 को शाम 05.00 बजे नारायण सिंह रावत (पीडब्ल्यू1) की लिखित रिपोर्ट (एक्सटेंशन का. 1) के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक एफआईआर (प्रदर्श क . 25) दर्ज की गई थी।

7. मृतक व्यक्तियों के खून से सने कपड़े पुलिस द्वारा लिए गए थे।

8. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन दाता राम (पी डब्ल्यू 4) (प्रदर्श क. 3) और यशपाल सिंह (पी डब्ल्यू 5) (प्रदर्श क. 4) के कथन क्रमशः 11.07.2011 और 18.07.2011 को अंकित किए गए थे। दाता राम और यशपाल सिंह के बयानों के अनुसार, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत, उन्होंने मोटरसाइकिल की रोशनी में घटना देखी थी, लेकिन घायल दिनेश रावत ने उन्हें बताया था कि यह घटना संजय शाह और योगेश मैनाली की वजह से हुई थी।

9. एक गुप्त मुखबिर की सूचना पर 13 जुलाई, 2011 को संजय शाह और विकास उर्फ योगेश मैनाली को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के समय, एक रिवॉल्वर 0.32 बोर (वस्तु प्रदर्श 14) और कथित रिवॉल्वर का लाइसेंस आरोपी संजय शाह के पास से बरामद किया गया था। उसने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि उसने और विकास उर्फ योगेश मैनाली ने उस रिवॉल्वर से दिनेश रावत और राम सिंह भंडारी की हत्या की थी। इंस्पेक्टर रामी राम (पीडब्ल्यू11) द्वारा फर्द बरामदगी (प्रदर्श क. 28) तैयार की गई थी। फर्द बरामदगी के अनुसार, काफी कोशिश के बावजूद कोई भी स्वतंत्र गवाह सुनिश्चित नहीं किया जा सका। नक्शा नजरी (प्रदर्श क. 36) निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया था। खून से सने कपड़े और बरामद रिवॉल्वर को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया। विवेचना के पूरा होने के बाद, निरीक्षक रामी राम (पीडब्लू11) द्वारा दोनों प्रत्यर्थीगण-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र (प्रदर्श क. 41) दायर किया गया था, और जिला मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेने के बाद उप-निरीक्षक वल्लभ भट्ट (पीडब्लू12) ने आरोपी संजय शाह के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 30 के तहत एक आरोप-पत्र (प्रदर्श क. 44) दायर किया था।

10. अभियुक्त व्यक्तियों ने आरोप से इंकार किया और विचारण चलाने का दावा किया।

11. अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को सामने लाने के लिए अभियोजन पक्ष ने तेरह गवाहों को परीक्षित कराया।

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के पूरे साक्ष्य से इनकार किया। आरोपी संजय शाह के अनुसार पुलिस ने अल्मोड़ा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुलाकर उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर अपने कब्जे में ली थी।

13. अभियुक्तगण ने कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया ।

14. विद्वान विचारण न्यायालय ने तर्कों को सुना, साक्ष्यों का मूल्यांकन किया एवं अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

15. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

16. राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री जे. एस. विर्क ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों की पूरी तरह से अनदेखी की है, जिसके अनुसार, अभियुक्त व्यक्तियों की भागीदारी साबित होतीहै-; दाता राम (पीडब्लू 4) और यशपाल सिंह (पीडब्लू 5) का साक्ष्य विश्वसनीय हैं-अभियुक्त-प्रतिवादी संजय शाह ने अपना अपराध स्वीकार किया था और हत्या में उपयोग की गई एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, आरोपी संजय शाह के पास से बरामद की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त व्यक्तियों का दोष पूरी तरह साबित है।इसलिए, बरी करने का निर्णय कानून की नजर में उचित नहीं है।

17. दूसरी ओर, श्री आदित्य सिंह, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया.

18. कानून पूर्णतया से स्थापित है कि दोषमुक्ति का निर्णय अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा को मजबूत करता है। यह देखना भी न्यायालय का समान रूप से कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दोषी सजा से बच न पाएं। इसलिए हमने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया है।

19. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित साक्ष्य पर भरोसा कियाः

(i)- कि प्रत्यर्थी-आरोपी संजय शाह ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।

(ii)-प्रत्यर्थी-आरोपी संजय शाह के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त एक रिवाल्वर बरामद किया गया।

(iii)-कि दाता राम (पी डब्लू 4) और यशपाल सिंह (पी डब्लू 5) के साक्ष्य प्रत्यर्थी-आरोपी व्यक्तियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।

20. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 व्यापक रूप से वर्णित है और यह किसी भी परिस्थिति में किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को साक्ष्य से अपवर्जित करती है और किसी व्यक्ति द्वारा जब वह पुलिस की हिरासत में था तब की गई संस्वीकृति भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अधीन तब तक अस्वीकार्य है जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न किया गया हो।

21. अब, विचारणीय महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या मृत्यु रिवॉल्वर द्वारा हुई (वस्तु प्रदर्श 14)।

22. फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड की रासायनिक जांच रिपोर्ट दिनांक 27.08.2011 के अनुसार, 0.32 बोर रिवॉल्वर के बैरल में फायरिंग डिस्चार्ज अवशेष पाए गए, इसलिए, निष्कर्ष यह था कि 0.32 बोर रिवॉल्वर के माध्यम से गोली चलाई गई थी।

23. अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोली बरामद/जब्त नहीं की गई थी। इसलिए, यह साबित नहीं हो पाया है कि घटना आग्नेयास्त्र जिसे जांच के लिए भेजा गया था, के कारण हुई थी । रिकॉर्ड से पता चलता है कि मृतक व्यक्तियों के खून से

सने कपड़े जांच के लिए भेजे गए थे।लेकिन, केवल इस तथ्य से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि प्रत्यर्थीगण ने अपराध किया था। इसलिए, अभियोजन प्रमुख ठोस साक्ष्य द्वारा साबित करने में विफल रहा है कि वास्तव में, प्रतिवादी संजय शाह ने आग्नेयास्त्र से गोली चलाई थी (वस्तु प्रदर्श 14).

24.श्री आदित्य सिंह, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दाता राम (पी डब्लू ४) और यशपाल सिंह (पी डब्लू ५) के साक्ष्य, जिस पर अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादियों को दोषी ठहराने के लिए भरोसा किया था, विश्वसनीय नहीं है क्योंकि दाता राम और यशपाल सिंह के बयान घटना के एक महीने से अधिक समय बाद क्रमशः 11.07.2011 और 18.07.2011 को पहली बार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था।

25.निरीक्षक रामी राम (पीडब्लू 11) के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दाता राम का बयान 07 जुलाई, 2011 को दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी ने कोई कारण नहीं बताया कि विवेचना के दौरान उनके बयान दर्ज करने में इतना विलंब क्यों हुआ।

26.दाता राम और यशपाल सिंह के बयानों के अनुसार, उन्होंने मोटरसाइकिल की रोशनी में घटना देखी थी, लेकिन घायल दिनेश रावत ने उन्हें बताया था कि यह घटना संजय शाह और योगेश मैनाली की वजह से हुई थी। यह मामला अभियोजन पक्ष का नहीं है कि परीक्षण पहचान परेड आयोजित की गई थी। जबकि, रामी राम (पी डब्लू 11) ने अपना बयान दिया है कि सूचनकर्ता नारायण सिंह रावत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अपने बयान में दाता राम और यशपाल सिंह पर संदेह व्यक्त किया था, जो घटना के समय मृतकों के साथ थे।

27. पीडब्लू-4 दाता राम, कांस्टेबल ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने इस घटना की सूचना अपने लेफ्टिनेंट कर्नल को दी थी, लेकिन उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।

28.पीडब्लू-5 यशपाल सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने पहले किसी को इस घटना की जानकारी नहीं दी थी क्योंकि वह घबराया हुआ था।

29. **जगजीत सिंह उर्फ जग्गा बनाम पंजाब राज्य, (2005) 3 एस. सी. सी. 689** और **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एस. स्वर्णलता और अन्य, (2009) 8 एस. सी. सी. 383** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जांच के दौरान साक्षी की परीक्षा में विलंब यदि उचित रूप से स्पष्ट नहीं गया तो साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

30. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया है कि जांच के दौरान दाता राम और यशपाल सिंह के बयान दर्ज करने में इतना विलंब क्यों हुआ।

31. यद्यपि, डॉ. दीप प्रकाश (पी डब्लू 13) के अनुसार, मृतक व्यक्तियों के शवों पर आग्नेयास्त्रों के घाव पाए गए थे और मृतक व्यक्तियों की मृत्यु हत्या थी, अभियोजन को यह साबित करना होगा कि मृतक व्यक्तियों की मृत्यु प्रत्यर्थीगण

द्वारा हुई थी और सभी मानवीय संभावनाओं में, यह कार्य केवल प्रत्यर्थीगण द्वारा किया गया होगा। अभिलेखों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थीगण का कोई आशय होना स्पष्ट नहीं है।

32. **भगवान सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2002) 4 एससीसी 85** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि आपराधिक मामले में न्याय प्रशासन के जाल के माध्यम से चलने वाला स्वर्णिम धागा यह है कि यदि मामले में जोड़े गए साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, जो एक अभियुक्त के दोष की ओर इंगित करता है और दूसरा उसकी निर्दोषिता की ओर इंगित करता है, तो ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो।

33. आपराधिक न्यायशास्त्र का यह भी एक बुनियादी नियम है कि संदेह, हालांकि मजबूत, परंतु सबूत नहीं हो सकता है। **सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य, ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3817** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता और तथ्य जिसे साबित किया जा सकता है और जिसे साबित किया जाएगा के बीच बड़ा अंतर है । एक आपराधिक मुकदमे में, संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे सबूत के रूप में पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही दी जानी चाहिए। यही कारण है कि "हो सकता है" और "होना चाहिए" के बीच की मानसिक दूरी काफी बड़ी है, और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करती है। किसी आपराधिक मामले में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मात्र अनुमान या संदेह कानूनी प्रमाण का स्थान न ले ले। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए "के बीच की बड़ी दूरी को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और अचूक साक्ष्य के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए, इससे पहले कि किसी अभियुक्त को सिद्धदोष के रूप में दंडित किया जाए और बुनियादी और स्वर्णिम नियम को लागू किया जाना चाहिए।"

34. अभियोजन पक्ष के सबूतों की विस्तृत जांच और जांच के बाद, यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को कायम रखता है। हमारे सुविचारित विचार में, अभियोजन पक्ष प्रत्यर्थीगण -अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा सभी उचित संदेह से परे कथित अपराध को साबित करने में विफल रहा है। वे संदेह के लाभ के हकदार हैं। इसलिए, हम विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं और यहां दिए गए निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

35. परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें अर्थात सरकारी अपील संख्या 9 वर्ष 2013 और सरकारी अपील संख्या 11 वर्ष 2013 खारिज किए जाने योग्य हैं। तद्नुसार इन दोनों अपीलों को खारिज किया जाता है।

संजय कुमार मिश्रा, जे.

आलोक कुमार वर्मा, जे.

दिनांकः21.07.2022

जे के जे/पंत